

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी जाउन्सिस्त ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सव्यो पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 2288-M G INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशों, प्राविधिक

शिक्षा उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और क्विडिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के दिरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुल्का, छात्रावास मुल्का आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शीता रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, जनार्ण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्कात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थतीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पु0सं0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठि:

प्रधानाचार्य/निदेशक, M.G. INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY



(एफ0आर0 खान)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राशिप/परिषद सन्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय नमः:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्गो काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सन्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सन्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं की सन्बद्धता एवं से संचालित संस्थाओं की सन्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सन्बद्धता/ सन्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सन्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2288-M G INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY ,VILLAGE KHANDEDEV, LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 सेलेक्टड विनियमवाली 2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सकल-सकल पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पंजाबी

होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सौस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीस की नवीनतम डरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अखण्डित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनावे गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनावे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बंधित होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संरक्षण यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सनसत उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा टावर वाद के संबंध में वा, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्यत किया जाता है तो सनसत प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पन्चैक वर्ष के लिए आनोदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सनसत सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्ट्राफ, साज-सज्जा, उपकरण, पान किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में सनसत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के सनसत उपलब्ध कराने गये अभिलेख भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के सनसतानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का इल्लखन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सौनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सन्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक M G INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, VILLAGE  
KHANDEDEV, LUCKNOW



(सुनील कुमार सौनकर)

सचिव



- ✓ संस्था को समय-समय पर विराम प्रस्तावों से अनुसार निर्देशन एवं समझौता सुलभ बना करना होगा।
- ✓ संस्था को 100आईआईआईआई/विदेशीआईआई से वापसी कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कएये एके विधि/विधेय/अधिवेशन/समागणियों/निदेशों एवं विदेशक, प्रविधिक विद्या, उच्च, राष्ट्रीय प्रदेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक विद्या परिषद, उच्च द्वारा कएये एके विदेशी अधिवेशन, अदेशों, निदेशों का समय समय पर लिने सुलभ होगी।
- ✓ विदेशीय इन कार्मिकी पर्यवेक्षण की संघर्ष एके वि.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षम रहती है तो इस संस्था में समस्त पर्यवेक्षण संस्था को होगा और विदेशीय एके किले की कार्यवाही के लिए संस्था को आताएगी होगी। प्राविधिक विद्या परिषद, उच्च तथा प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक विद्या विदेशक एवं प्राविधिक विद्या विद्या उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कर प्राप्त किया जाक है तथा एकर कर के संघ में का न्यायलय प्राप्त किती प्रकार की प्रविधिकी संस्था अदेश निर्देश किया जल है तो समस्त प्रविधिकी संबंध को कएगी होगी।
- ✓ विदेशीय इन कार्मिकी पर्यवेक्षण संघर्षिता कएने वाली संस्थाओं के राष्ट्रीय प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चपरक द्वारा प्रवेश एवं ही लिए अर्थात् प्रदेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्राप्त होने से पूर्व विदेशीय अदेश से अनुमोदन प्राप्त एवं परिषद पर्यवेक्षण को पर्यवेक्षण कएना होगा कएना एके प्रदेश की (संघर्षिताओं के भाषण से कएना संस्था संघ पर ही ही प्रदेश) अनुमती नहीं कएने की जएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु विद्या-सौभाग्य संकल्प निदेशों का अनुमोदन कएना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को कएने विदेशक एवं संस्था की समस्त सुलभ एके संस्था की संघर्षिताए प्रविधिकी, उच्च, उच्च-संघर्षिता, उच्चपरक प्राप्त किया कएने पर सुलभ, उच्चपरक सुलभ अदि का विदेश उच्चपरक कएना होगा।
- ✓ संस्था को विदेश-विदेश हेतु पर्यवेक्षण आताएना आताएना कएने में संस्था हीना कएने के संघर्ष में समस्त अर्थात्क कएना सुनिश्चित कएनी होगी।
- ✓ संघर्ष एवं सुनिश्चित है ने कि संस्था में प्रविधिक/संघर्षिता पर्यवेक्षण को कएने कएने हेतु विदेशीय समिति के संघर्ष कएना कएने एके अर्थात्, सुनि-संघर्ष, कर्मिक, उच्चपरक, उच्चपरक का ही संघर्ष द्वारा किती अन्य पर्यवेक्षण के उच्चपरक में प्रवेश किया जाक है और परिषद के इस्की आताएगी होगी है कि संस्था पर्यवेक्षण का प्रवेश किती अन्य कएने के लिए कए रही है तो उच्चपरक संस्था की संघर्षिता कएना किले कएने की अनुमोद की जएगी।
- ✓ संघर्षिता कर्मी का अनुमोदन न किले कएने कएना कर्मी का प्रविधिक किले कएने की विधि में विदेशीय अनुमोदनक कार्यवाही की जएगी।

(संघ संघर्षिता विधि)  
संघर्षिता

पुणः- प्राविधिक/परिषद संघर्षिता/2020/ 1972-3141      तद्दिनांक- 15-09-2020  
 प्रविधिकी-उच्चपरक/विदेशक, उच्चपरक इतिहासक उच्च पर्यवेक्षण एवं उच्चपरक, उच्च-उच्चपरक उच्चपरक।

(संघ संघर्षिता विधि)  
संघर्षिता